गेहूं का भंडार

*222. **डा॰ मुरली मनोहर जोशी:††**
श्री रवि शंकर प्रसाद:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 2007 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के पास 101 लाख टन गेहूं का भंडार था और इसके अलावा 13 लाख टन गेहूं का आयात किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार के पास देश में उत्पादित गेहूं और आयातित गेहूं का कुल कितना-कितना भंडार था; और

(ग) आगामी छः महीनों अर्थात मार्च, 2008 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य समस्त कल्याणकारी योजनाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कितने गेहूं की आवश्यकता का आकलन है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। 1.10.2007 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास 101 लाख टन गेहूं का स्टाक था और इसके अलावा 13.06 लाख टन गेहूं का आयात करने के लिए अनुबंध किया गया है।

(ग) अक्तूबर, 2007 से मार्च, 2008 तक के लिए केन्द्रीय पूल के स्टाक से अनुमानित 80 लाख टन गेहूं की आवश्यकता है। 1.4.2008 की स्थिति के अनुसार 40 लाख टन स्टाक का न्यूनतम बफर मानदंड रखा जाना है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से गेहूं का अतिरिक्त आबंटन करने के लिए भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिन्हें उपर्युक्त अनुमानों में शामिल नहीं किया गया है।

Wheat reserve

†*222. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:††
SHRI RAVI SHANKAR PRASAD:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTON be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there was a wheat reserve of 101 lakh tonnes with FCI during October, 2007 and in additonial to that 13 lakh tonnes wheat was imported;

(b) if not, what was the total reserve of domestic as well as imported wheat with Government; and

(c) the estimated requirement of the wheat to fulfil the needs of the public distribution system and all other welfare schemes till the coming six months, *i.e.* March, 2008?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. As on 1-10-2007, there was a wheat stock of 101 lakh tonnes with FCI, and in addition, 13.06 lakh tonnes to wheat had been contracted for import.

---

† Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the Floor of the House by Dr. Murli Manohar Joshi.

††सभा में यह प्रश्न डा॰ मुरली मनोहर जोशी द्वारा पूछा गया।

(c) The requirement of wheat from Central Pool stocks for October, 2007 to March, 2008 is estimated at 80 lakh tonnes. A minimum buffer stock of 40 lakh tonns is to be maintained on 1.4.2008. Requests have also been received from the State and UT Governments for additonal allocation of wheat which have not been included in the above estimate.

डॉ मुरली मनोहर जोशी: श्रीमान्, जो स्टेटमेंट रखा गया है, उससे कई प्रश्न उभरते हैं क्योंकि इस स्टेटमेंट में बताया कम गया है, छुपाया ज्यादा गया है। पहली बात मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अप्रैल, 2007 से सितम्बर तक पीडीएस और अन्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में कितना अनाज दिया गया और अगले छः महीनों के लिए किन-किन राज्यों से कितनी मांग पीडीएस आदि के लिए की गयी है? यह भी बताएं कि आयातित अनाज की कितनी राशि विभिन्न राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में मानव उपयोग के लिए अनोपयोगी और जहरीली पायी गयी? उसके बारे में सरकार ने क्या किया और उन देशों से किस प्रकार की कार्यवाही की गयी? इसके अतिरिक्त पिछले छः महीने में जो अनाज वहां दिया गया है, उसका कितना उपयोग पीडीएस की स्कीम्स में हुआ है और कितना शेष है?

श्री शरद पवार: सभापति महोदय, जो फिगर मांगी गयी है, रिप्लाई में वह क्लीयर-कट दी गयी है। रिप्लाई में यह बात साफ रखी गयी है कि अक्तूबर, 2007 से मार्च, 2008 तक estimated requirement 80 लाख थी, सेंट्रल स्टॉक 80 लाख टन था और minimum buffer stock 40 लाख टन था। यह पोजिशन देश की थी। जो उस समय की रिक्वायरमेंट थी, वह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की 80 लाख टन की थी और 40 लाख टन बफर स्टॉक की थी। इस प्रकार टोटल 120 लाख टन की रिक्वायरमेंट थी। हमारी स्टॉक पोजिशन के बारे में, जैसा मैंने रिप्लाई में बताया है कि 101 लाख टन थी और 13.06 लाख टन का एक कॉन्ट्रेक्ट किया था जो माल अभी तक नहीं आया है। इसलिए इसमें गैप था। जहां तक अन्य राज्यों से additional demand का सवाल है। इससे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन या ऐलोकेशन किया जाता था, इसमें एएवाई और बीपीएल, इन दो केटेगरीज के लिए 35 किलोग्राम पर फैमिली, इस तरह से ऐलोकेशन किया जाता था। वह आज भी किया जाता है। मगर अब पावर्टी लाइन की जो केटेगरि है इनको इस तरह से हम दे नहीं सकते क्योंकि स्टॉक पोजिशन देखकर हमने इनको ऐलोकेशन किया है। जो पहला ऐलोकेशन था, उसमें कटौती आयी है – यह बात सच है। इसका कुछ बेस तय किया। पिछले तीन सालों में हर स्टेट को एपीएल केटेगरि के लिए जितना ऐलोकेशन किया था। इनमें से अब तक जो हुआ था, वह बेस हमने पकड़ा और इस बेस के आधार पर APL का कोटा हर राज्य का कम किया गया है। मगर प्रेक्टिकली सभी राज्यों की तरफ से यह रिक्वेस्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने आयी है कि APL का कोटा बढ़ाने की आवश्यकता है। यह पूरी डिमांड सब राज्य सरकारों की तरफ से की गयी है, शायद 40 लाख की यह रिक्वायरमेंट होगी। यह सब टोटल wheat बजट outlay करने के बाद इसमें गैप बहुत हो जायेगा।

दूसरा सवाल, जो यहां पूछा गया कि किन राज्यों को, किस तरह से imported wheat का distribution किया गया और साथ-साथ बाकी राज्यों को, यानी महाराष्ट्र को, इसमें कितना माल दिया गया जो माल दिया गया था, उसमें सबसे ज्यादा माल महाराष्ट्र को दिया गया था यह बात सच है। इसमें कुछ शिकायतें आयीं, यह बात भी सच है। जो टोटल डिस्ट्रीब्युशन किया था, उसमें the actual quantity received by Maharashtra is 40, 33, 278 tonnes; Gujarat - 9,70,504 tonnes; Rajasthan - 3,91,346 tonnes; Madhya Pradesh - 13,02,136 tonnes; West Bengal - 05,09,216 tonnes; Karnataka - 3,00,159 tonnes; Tamil Nadu - 1,30,000; Kerala - 2,95,872 tonnes. So total allocation and actual disbursement to the State, जो मैंने यहां बताया, इसमें से 56 लाख 67 थाउजेंड 568 quantity has been received, and the quantity issued is 54,02,022 tonnes. इससे एक बात साबित होती है कि जो इम्पोर्ट किया, इनमें से more than 95 per cent material has been allocated to the State and the State has expected that. We have received complaint mainly from the State of Maharashtra. For instance, in Gujarat actually quantity issued is 8,24,000 tonnes. We have not received even a single complaint from the Government of Gujarat. The real complaints are from Maharashtra. And, we will study these complaints. There were certain complaints here and there too. But the main complaint that we have received is from the Government of Maharashtra. In Andhra there are five cases, which were brought to the notice, from the Kakinada Port about Russian wheat. So, all these five sample of imported wheat were taken in the presence of the representative of the State Government. They were, then, sent to the PFA. Ultimately, it was found that the samples conformed to the

PFA standards/norms. In Madhya Pradesh, five samples of imported wheat were collected from the FCI depot, that is , *Chola* Bhopal, on 23rd October, and in the analysis report it was found that these conformed to the PFA standards. In Rajasthan, one sample was taken. That too conformed to the PFA standards.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, मेरा जो मुख्य सवाल है, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। यह सब साइड की बातें हो रही हैं। मेरा सवाल है कि अगले छह महीनों में आपके पास टोटल डिमांड्स पीडीएस और सोशल वेलफेयर स्कीम्स की कितनी आयी हैं? देखिए, छह महीने तो आपके बीत गए। एक अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक के लिए आपके पास टोटल डिमांड पीडीएस और अन्य स्कीमों के लिए कितनी आयी है, यह मेरा सवाल है।

श्री शरद पवार: इसकी अलग से डिमांड आती नहीं है। इसमें सिम्पल बात यह है कि हर एक को BPL और AAY कैटेगरी में जो टोटल फैमिलीज एप्रूव हुई हैं, as per the guideline of the Planning Commission multiplied by 35 kg. हम इतना माल हर स्टेट को कम्पलसरी देते हैं। जहां तक APL की कैटेगरी है, it depends on availability, And APL, that is, for above the poverty line category, as of today, we are not in a position to fulfil the demand of the State. This is the overall position. Now, October, 2007 to March, 2008, TPDS requirement is 71,50,000. For other welfare schemes, it is 9,18,000. And additional demand, which has been asked by the State Governments and Union Territories for APL, is 41 lakh. So, total is 121.68 lakhs.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन्, केन्द्रीय पूल में इनके पास एक लाख टन अनाज था और 13.06 लाख टन आपने इम्पोर्ट किया था। इस प्रकार आपके पास 114 लाख टन अनाज हुआ। अभी तक नोर्मली जो आपके आंकड़े आते हैं, उनके हिसाब से 1 अक्तूबर से 31 मार्च तक के लिए गेहूं, क्योंकि अनाज में सिर्फ गेहूं ही नहीं और चीजें भी लोग खाते हैं, तो गेहूं की खपत लगभग 60 लाख टन होगी, जिसे आपने 80 लाख टन बताया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह 80 लाख टन का आंकड़ा कहां से आया है? आपके सब आफिसर्स कहते हैं कि 60 लाख टन की जरूरत होगी, वे बयान देते हैं। आप कहते हैं कि 80 लाख टन की जरूरत होगी। यह तो कहीं न कहीं बीस लाख टन का घपला है। अगर यह 60 लाख टन है तो 114 लाख में से 60 लाख टन घटाइए, आपके पास 54 लाख टन बचा रहेगा। जो आपका 40 लाख टन का बफर नार्म है, उससे 14 लाख टन ज्यादा है। Where is the need to import? दूसरी बात यह है कि अप्रैल में नई फसल आनी भी शुरू हो जाएगी, और जो आप अनाज इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसी में से आपने बताया है कि लाखों टन unfit for human consumption है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनाज की उपज को कम बताकर इम्पोर्ट की नेसेसिटी को आगे बढ़ाकर, आपके लोग कुछ कमीशन आदि लेने की तैयारिया तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसमें बड़ा भारी घपला दिखाई देता है। इम्पोर्टेड अनाज है, जिसमें phytosanitary condition ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Let the hon. Minister respond. ...*(Interruptions)*...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सर, मैं अपना सवाल कर लूं, phytosanitary condition जिसकी खराब है, वह आपने ले लिया है और 54 लाख टन में से 14-15 लाख टन तो एक ही राज्य में पड़ा हुआ है। जो इम्पोर्टेड अनाज में जो धमाल हो रहा है, जो गड़बड़ हो रही है, आप उस पर कोई कार्रवाई करेंगे?

MR. CHAIRMAN: Please, Joshiji, let the hon. Minister respond. ...*(Interruptions)*...

श्री शरद पवार: यह सिम्पल बात है और जैसा कि मैंने सदन में बताया है और मैं पूरे साल का भी बताने को तैयार हूं। The procurement of 111 lakh tonnes and carry over of last year was 47 lakhs tonnes, that is, the opening stock. 158 lakhs tonnes is the total availability. The estimated demand of the TPDS Welfare Scheme and for natural calamities is 150 lakh tonnes. The buffer stock requirement as on 1st April is 40 lakhs tonnes. So, the total requirement is 190 lakh tonnes. There is a gap of 32 lakhs tonnes. हम लोग यह गैप भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाते थे, तो अगले साल जब हम मार्केट में पर्चेज करने के लिए जाते थे, तब हमारा स्टॉक बिल्कुल नहीं था। इसका असर ओवर ऑल देश के प्राइसेज पर होता था। दूसरे, एक कोई समस्या आ गई, ड्राउट आ गया, कहीं फ्लड्स आ गई, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास पूरा स्टॉक न हो, तो फूड सिक्युरिटी के इश्यु पर कम्प्रोमाइज करने की स्थिति इस देश में आती थी। तीसरे, जो दुनिया के मार्केट-ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, वे बहुत ऊंचे जा रहे हैं, मगर ऐसी स्थिति में हिन्दुस्तान में, प्राइस लेवल, for instance, in

Delhi, हम दिल्ली की प्राइस, पिछले आठ-दस महीने से एक ही लेवल पर मेंटेन करने के लिए कामयाब हो गए। यह ऑपन मार्केट की प्राइस एक लेवल पर मेंटेन करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि 35 किलोग्राम जब हम BPL वालों को देते हैं, AAY वालों को देते हैं, यह 35 किलोग्राम फैमिली के लिए पूरा नहीं होता है, उनको ओपन मार्किट से खरीदना पड़ता है। हम APL वालों को इतना देते नहीं हैं They are also dependent on open market. ओपन मार्केट की कीमत मेंटेन करने की आवश्यकता होती है और यह गैप भरने की आवश्यकता होती है, इसलिए इम्पोर्ट करने का डिसिजन लिया। मान्यवर ने यहां जो 13 लाख की बात कही है, तो हमारे पास अभी तक 13 लाख का माल नहीं आया है, that has been contracted. यह कांट्रेक्ट जरूर किया है, मगर अभी तक हमारे पास माल आया नहीं है, परंतु माल जरूर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: उपसभापति जी, माननीय कृषि खाद्य मंत्री का प्रशासकीय और संसदीय अनुभव बहुत लंबा है, जिसका हम सम्मान करते हैं। हमारे प्रश्न की परिधि को आपने समझा होगा। पहले मैं अपनी यह आपत्ति दर्ज कराऊं की हमारे प्रश्न की धारा "सी" का कोई उत्तर इसमें नहीं है। आपके इस उत्तर को मैं आपके पूर्व दिए उत्तर, जो आपने 23 नवंबर को तारांकित प्रश्न 149 दिया था, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जहां आपने इस बात को स्वयं स्वीकार किया था कि 30 अप्रैल, 2007 को आपने 263 रुपए पर टन के इम्पोर्ट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वह महंगा था। मात्र दो महीने बाद 26 जून, 2007 को आपने उसी को 325.59 पर टन पर कांट्रेक्ट किया। इस बैक ग्राउंड को समझते हुए यदि आप आज के सवाल का उत्तर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं आपसे यह इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि आपको पहले यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि देश में व्हीट का कितना डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट हुआ। मैंने कई जगह पर आपकी स्टेटमेंट देखी है कि इस साल का प्रोक्योरमेंट पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा हुआ है। अगर अच्छा हुआ है तो कितना अच्छा हुआ है, यह आपको पहले बताना चाहिए, दूसरी बात यह कि इस डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट आपकी नीड्स को पूरा करने के लिए पर्याप्त है या नहीं? अगर नहीं होता तब आप कम्पेलिंग नीड फोर इम्पोर्ट को जस्टिफाई कर पाते। माननीय मंत्री जी मैं आपसे बहुत विनम्रता से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप स्पष्ट बताएं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट कितना बढ़ा है? उसका अनुमान कितना है, कितनी क्वांटिटी है और देश की व्हीट की टोटल कितनी रिक्वारमेंट है? आप इम्पोर्ट को जस्टिफाई करेंगे तो शायद आपके उत्तर में कुछ संतोष दिखाई पड़ेगा।

SHRI SHARAD PAWAR: It is a good thing that this question was asked. The total requirement of the country is somewhat near to 160 lakh tonnes. Last year, the procurement was 91 lakh tonnes. This year, procurement was 110 lakh tonnes. I have given the statement stating that as compared to last year, procurement this year has improved — from 91 lakh tonnes, it has gone up to 111 lakh tonnes. Still, if the requirement is 150 lakh tonnes, there is a gap of about 40 lakh tonnes. Unless and until we make an arrangement for these 40 lakh tonnes, there will be serious problem, either today or tomorrow in the country, and we don't want to take a chance.

A question was asked about the tender. It is true that the first tender which was estimated at a price of $ 263 — in Indian rupees, it comes to Rs. 10,688/- per ton — has been rejected is correct. It was rejected for some reasons. Firstly, we have given the entire responsibility of import to the State Trading Corporation (STC). उन्होंने क्वांटिटी का दस लाख का टेंडर भरा है But, actually, they got three lakhs and something, about six thousand or seven thousand, a proposal of 3,06,000. When they got 3,06,000 STC communicated in writing to my Department (a) यह इंटरनेशनल प्राइसेज़ से नीचे जा रहा है। आज जो 263 है, इससे भी नीचे जा रहा है। शिकागो का जो फ्यूचर है, वह नीचे जा रहा है। नंबर 3, जो टोटल क्वांटिटी देने के लिए जो प्रपोजल आया था, यह क्वांटिटी दो हिस्से में देने की बात थी। एक हिस्सा यह था कि अगस्त से पहले आप डिलीवरी लेते हैं तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, यदि अगस्त के बाद लेंगे तो हम आपको कम कीमत पर देने के लिए तैयार हैं। जो एस॰टी॰सी॰ ने लिखा है, उससे यह इंडिकेशन है कि आगे प्राइसेज़ सॉफ्ट होने की संभावना है। जब खरीदने वाली ऑर्गेनाइजेशन हमें लिखित में इन्फॉर्म करती है कि आगे कम प्राइसेज़ होने की संभावना है, तब इस पर क्या डिसीजन लेना चाहिए, यह भी सोचने की बात है। जब 10,888 का जो प्रपोजल हमारे सामने आया था, जो फर्स्ट टेंडर था, जिसे हमने रिजेक्ट किया था, उस समय हमें तीन लाख टोटल क्वांटिटी मिलने वाली थी। मगर हमारे फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो बाकी सभी रीजनल ऑफिसेज़ हैं, उन्होंने हमें उनका

assessment यह दिया कि अपने देश में और 9 लाख टन मिल सकता है और यह 850 रुपए प्रति क्विंटल से मिलने वाला था। इसलिए हमारे सामने 850 रुपए प्रति क्विंटल से माल अपने देश से खरीदना या बाहर से 1068 रुपए प्रति क्विंटल विदेश से लाना, वह भी 3 लाख, जब यह था, तो हमने conscious decision लिया कि विदेश से 1068 रुपए प्रति क्विंटल से माल खरीदने की बजाय अपने ही देश में 9 लाख टन तक 850 रुपए प्रति क्विंटल से मिलने की संभावना है, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। मुझे सदन को यह कहने में गर्व होता है कि हम 9 लाख टन तक 850 रुपए प्रति क्विंटल से इस देश में domestic procurement से अपने किसानों से procure करने में कामयाब हुए। हम 850 का माल छोड़ कर 1000 के ऊपर ज्यादा कीमत बाहर के लोगों को देते, तो इसका संदेश total domestic market पर अलग होता। इसलिए हमने यह decision जरूर लिया।

यहां दूसरा सवाल यह उठाया गया कि आपने फिर एक महीने के बाद ज्यादा कीमत क्यों दी। यह भी बात सच है कि जब एक महीने के बाद हमें दूसरा टेंडर निकालने का decision लेना पड़ा, तब तक हमारे सामने देश के total procurement की जो figure आई थी, वह 118 लाख टन की थी और हमारी requirement, जैसा मैंने कहा, 150 लाख टन की थी। इसलिए इसमें gap जरूर था। वह gap भरने के लिए फिर हमने नया टेंडर निकालने के लिए तय किया, Cabinet decided. जब हमने सेकंड टेंडर निकाला, तब इंटरनेशनल मार्केट की स्थिति बदली, इसके भी कुछ reasons हैं। The United States of America, department of Agriculture, has given a report that whatever assessment has been done by FAO and other organisations regarding the production of wheat is not correct and they have given the figures कि दुनिया में इस साल गेहूं कम हुआ है। After getting that report, within two days, the International Grain Council, which is an international organisation supported by all countries, including India, have confirmed the American report, and then the American report was confirmed by the Indian Grain Council. From that day, the market prices इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जाना शुरू हुआ। वह आज तक नहीं रुका। आज तक कभी कीमत इतनी ऊपर नहीं गई थी, जितनी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आज गेहूं की कीमत ऊपर गई है। मगर हमें उस gap को भरने के लिए ज्यादा पैसे देने की नौबत आ गई, तो भी पैसे देकर हमें वह import करना पड़ता है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के issue पर हम compromise नहीं करना चाहते।

SHRI SYED AZEEZ PASHA: Sir, I woulk like to know from the hon. Minister whether the major beneficiary of this import is a Swiss firm, to the tune of 7.4 lakh metric tonne. There was a small portion which was given to a Singapore firm, a quantity of 5000 metric tonne. As a result, now you are paying sixteen rupees per kg for importing the wheat, whereas, you are giving only Rs. 8.50 to farmers. So, you are paying more than double amount for importing this. Why have you given this preferential treatment to Swiss firm? I want to know whether they have quoted a lower bid? This is what I want to know from the hon. Minister.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, when the Government of India and the Union Cabinet took a decision for announcement of the Minimum Support Price for wheat, it was announced as Rs. 850 per quintal. उस समय इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कीमत 741 रुपए प्रति क्विंटल थी। जब दुनिया में 741 रुपए प्रति क्विंटल कीमत थी, उस समय भारत सरकार ने अपने देश के किसानों को 850 रुपए की कीमत announce की यानी इंटरनेशनल मार्केट से 100 रुपए से भी ज्यादा amount यहां देने की तैयारी की। जब हम MSP तय करते हैं, तो वह पूरे season के लिए, पूरे साल के लिए तय करते हैं। जब हमने MSP को दुनिया की कीमत से ज्यादा announce किया और उस रेट से खरीदना शुरू किया, इसके कुछ हफ्तों के बाद इंटरनेशनल मार्केट की price ऊपर गई। मगर यह बात साफ होती है कि सरकार ने जब एम॰एस॰पी॰ एनाउंस की तब इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा कीमत देने का डिसीजन यहां लेकर यहां के किसानों को मदद करने की तैयारी रखी।

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, two issues are involved in this particular matter. The hon. Minister has an opportunity to clarify for the convenience of the people as also for the sake of the media which has been criticising this issue and calling it a scam in the country.

The first part of my question is whether the hon. Minister can convince this House that import of wheat was absolutely necessary. Secondly, in the Maharashtra Assembly, this issue

was raised and the hon. Minister for Food and Civil Supplies in Maharashtra has admitted that the wheat which was imported and which was given to the State of Maharashtra was unfit for human consumption. The question arises whether the hon. Minister accepts that part of the wheat that was sent to Maharashtra was unfit for human consumption.

I would like to ask the hon. Minister, what action has been taken against the supplier of this wheat, whether proper compensation has been asked for, what is the amount of compensation the Government has received for such a type of wheat, and whether international law has been used in this particular case.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I would first like to make one position clear before the August House about this folly. When the orders were given, along with the orders, quality norms were also provided for. When we have received the material from the various suppliers, there is a procedure that is followed. We do not straightaway accept the material that has been brought into the country. There is an inspection by Health authorities. When the cargo arrives at the Indian ports, samples are drawn by the Health authorities, authorised under the PFA Act, under the supervision of the Customs authorities. The samples are tested at the public health laboratories authorised by the Minister of Health, and in case the sample fails the test, we do not accept it. In this case, the stuff of each and every ship was tested by these authorities and they had accepted that it was up to the mark. There were three shiploads of material which were not up to the mark. One was rejected by the Government and that Russian ship was sent back as it was not up to the mark. There were two other ships which were, I think, from Ukraine or some other country, which were also rejected by our authorities. The concerned people went to the Court; the High Court has given the decision that कि आप एक बार और सैम्पिल ले लो। As per the Court orders, the second sample was taken and that sample इनके जो रिजल्ट आ गए that sample was up to the mark, and that is why as per Court orders, Government had to accept it. जहां तक देश में जो माल आया था, that was as per norms.

Now, there were questions about Maharashtra. The issue pertaining to the Maharashtra State Legislative Council has been raised here. It is true that this particular issue was discussed in the Maharashtra Legislative Council, mainly on the issue of colour. The wheat which has been imported is essentially from Russia, Ukraine, Khazhakistan and Eastern Europe. The type of wheat that we consume in this country is essentially produced in Australia and a part of America. During the last two years there was a drought in Australia and that is why, Australia is not in a position to supply us wheat. The American Government and American agencies were ready to supply wheat but their Agriculture Department and Supplies is not ready to accept the guidelines which have been introduced by the Government of India. That is why, if they are not going to accept the norms, we are not ready to accept their material. That is why, we have not accepted. इसलिए हमारे सामने दूसरी कोई च्वाइस नहीं थी। उस समय बाहर जो गेहूं था, वह रेड गेहूं था। इसकी क्वालिटी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ था, मगर यह बात सच है कि Red Wheat और domestic wheat के कलर में फर्क है। उससे जो रोटी बनती है, उसके कलर में भी फर्क होता है और यह बात भी सच है इस बारे में महाराष्ट्र में कंज्यूमर्स में थोड़ा बहुत रेसिस्टैंस भी था। मुझे कुछ डेलिगेशन भी मिले थे। Now question was that whether that wheat was unfit for human consumption. जहां तक एफसीआई के द्वारा सप्लाई किए गए माल की बात है तो उसे सप्लाई करते समय महाराष्ट्र गवर्नमैंट के रिप्रेजैंटेटिव और एफसीआई के रिप्रेज़ेंटेटिव, दोनों ने सैम्पल देखे और उसे देखने के बाद और महाराष्ट्र गवर्नमैंट के रिप्रेज़ेंटेटिव ने यह सर्टिफिकेट दिया कि यह सैम्पल up to the mark है। उसके बाद ही यह माल रिलीज़ किया गया था। जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वह यह है कि महाराष्ट्र गवर्नमैंट को माल रिजीज़ करने के बाद एक दिन विधान परिषद में इस पर डिस्कशन हुआ और तब वहां जो चेयरमैन थे, उन्होंने स्टेट गवर्नमैंट को एक डायरेक्शन दे दिया कि इसका डिस्ट्रिब्यूशन अभी रोक दिया जाए। So, the material was

in the possession of the shopkeepers and the State Government. Its distribution was stopped as per the directives of the Chairman of the Legislative Council of the State. Then, this material was kept for seven months in the shops, and proper precautionary measures were not taken. इसलिए इसमें से कुछ माल खराब हो गया, हमारे इस तरह की शिकायत भी आई। यह बात सच है। But, that was not supplied from FCI's godown. When FCI supplied, that was up to the mark. If somebody takes the material and keeps it for about 7-8 months, not ready to take precautionary measures, and if it is affected, it is the sole responsibility of that shopkeeper. That is not the responsibility of FCI.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सर, एक क्लैरिफिकेशन है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: डा॰ साहब, प्लीज़ ...(व्यवधान)... डा॰ साहब, प्लीज़ ...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: दो लोगों ने इसके सैम्पल लिए। पहले एक अधिकारी ने सैम्पल लिया, उसने अनफिट बताया और फिर दूसरे अधिकारी ने सैम्पल लिया, उसने फिट बताया, लेकिन आपने उसमें से फिट वाले को मान लिया तो क्या अनफिट वाले पर कोई कार्यवाही की गई या नहीं?

श्री शरद पवार: यह बहुत सिम्पल बात है, जहां तक हमारे पोज़ैशन का जो मैटीरियल था, उसके लिए हमें कभी इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं मिला कि वह अनफिट था। स्टेट गवर्नमैंट के यहां जो माल रखा गया और ऐसी शिकायत आई कि वह बाद में खराब हो गया, इस बारे में हमने स्टेट गवर्नमैंट को डायरैक्शन दे दिया कि जहां भी माल खराब है, आप उसका डिस्ट्रिब्यूशन बंद कर दो। हम आपको दूसरा आल्टरनेटिव माल दे सकते हैं। इस तरह से महाराष्ट्र में रेड वीट का डिस्ट्रिब्यूशन पूरी तरह बंद करने के लिए हमने स्टेट गवर्नमैंट को डायरैक्शन दे दी थी। उसका डिस्ट्रिब्यूशन पूरी तरह बंद कर दिया गया और उसकी जगह उन्हें पंजाब और हरियाणा से आल्टरनेटिव वीट भेज कर वहां पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के लिए आज डोमैस्टिक वीट का बंटवारा शुरू हो चुका है। आज वहां पर रेड वीट का बंटवारा बिल्कुल नहीं हो रहा है।

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, the situation is very alarming with respect to procurement of foodgrains in this country. It is a fact that it was reported recently that most of the big business houses are entering into retail business and they are doing the procurement, and the FCI is lagging behind. So, a report to this effect was there. They were in the forefront. Half-a-dozen companies are there. Are we serious about it? Naturally, the peasant will sell his product where he will get better price. That is happening, whether it is Punjab, Haryana or U.P. In this belt, the FCI is not in a position to collect its procurement. In such a situation, two things are there. One is that FCI has to do an aggressive procurement of foodgrains. Similarly, you have to enhance the MSP. Unless MSP is enhanced, how will the Government get the foodgrains? It is a fact that internationally, now there is a diversion of crop pattern from foodgrains to bio-fuels. So, the Government won't be in a position to import according to its demand. Seriousness on the part of the Government is required which is not reflected in the reply of hon. Minister. I want a categorical reply from the hon. Minister and an assurance to this august House on whether FCI will take up an aggressive procurement programme which will include enhancing of minimum support price for both, wheat and rice. Sir, agitations by the peasants are going on. What is the assurance which we are going to get from the Minister?

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, the Government has dealt with this subject very seriously. Before this Government came to power, in five years, the total rise given to the farmers was only fifty rupees. After this Government came into power under the leadership of Dr. Manmohan Singh, it has given a rise of Rs. 370, which is the highest. When we started, it was Rs. 850, and, today, the price has been announced and Rs. 1,000 ...(*Interruptions*)...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, this is ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Let the hon. Minister reply. ...(*Interruptions*)...

SHRI SHARAD PAWAR: Now, the highest rise has been given. Sir, an issue was raised as to why the procurement was not done by the FCI? Sir, procurement is always done with the help of the State Governments.

From two States only, namely, Punjab and Haryana, out of 11 million tonnes, 10 million tonnes has been procured. From other major wheat producing States like Uttar pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat, we could not procure. I do not want to go into details. I will give you some figures.

Coming to Bihar, the total production was 35 lakh tonnes; total procurement was only 8,000 tonnes, and, quantity of wheat supplied from the Government of India's kitty to Bihar was 17,50,000 tonnes. So, they produced 35 lakh tonnes but they contributed only 8,000 tonnes towards the Government of India's kitty.

Take the case of the State of Gujarat where the total production was 30 lakh tonnes; total procurement was zero, and, the supply from Government of India was 8,59,000 tonnes. Coming to the State of Madhya Pradesh, it produced 71,60,000 tonnes; procurement was only 57,000 tonnes and, the supply from the Government of India's kitty to Madhya Pradesh was 16,49,000 tonnes. As far as Rajasthan is concerned, the total production was 69 lakh tonnes, total procurement was 3,83,000 tonnes and the Government of India's supply to that State was 13 lakh tonnes. With regard to Uttar Pradesh, the total production was 259 lakh tonnes, total procurement was five lakh tonnes and the total material supplied by the Government of India to the State of Uttar Pradesh was 27 lakh tonnes.

I have written to all the Chief Ministers. In such a situation, it is the responsibility of the State Governments also to cooperate with the Government of India in the process of procurement, and, if the major producing States, except Punjab and Haryana, are not ready to cooperate with the Government of India for procurement, there will be problems of shortage. In such a situation, to resolve the problems relating to food security, the Government of India has no alternative to make arrangements whether it is within or outside.

दवाइयों के मूल्य

*223. **श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दवाइयों के मूल्यों पर अंकुश लगाने और गरीबों को सस्ती/उचित दर पर दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए नियंत्रण सूची में व्यापक फेरबदल करते हुए कुछ दवाइयों को शामिल किया गया है और कुछ को हटाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किये गये प्रयासों और हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।